

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक.....४०...../स्था.सैट/2019

जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2019

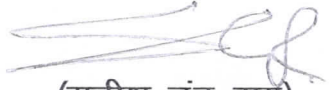
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 594/639/2019/ई./चार, भोपाल दिनांक 01.03.2019 द्वारा श्री ए.के. महोबिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का स्थानांतरण संभागीय पेंशन अधिकारी, जबलपुर के पद पर होने के फलस्वरूप उन्हें आज दिनांक 12.03.2019 (पूर्वान्ह) में कार्यमुक्त किया जाता है।

scf /
(अरविंद कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृ0क0.....४१...../स्था.सैट/2019
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2019

1. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल को उनके आदेश दिनांक 01.03.2019 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला जबलपुर।
7. रजिस्ट्रार कम पी0पी0एस0, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
8. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
9. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर।
10. कोषालय अधिकारी, नगर कोषालय, जबलपुर।
11. श्री ए.के. महोबिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. स्थापना/लेखानुभाग उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सेट) जबलपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(सतीश चंद्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)